



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51562-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी०आई०एल०) संख्या - 453 वर्ष 2026

दिनेश कुमार

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : राजेंद्र कुमार दुबे, संतोष कुमार पांडेय

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : राजीव सिंह, एस०सी०, प्राणवेश

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. 20.02.2026 को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने फर्रुखाबाद में तैनात एक अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाने में जिला हरदोई के निवासी याची की साख (विश्वसनीयता) को चुनौती देने वाली प्रत्यर्था के अधिवक्ता की आपत्ति पर ध्यान देने के पश्चात, याची के अधिवक्ता को समय प्रदान किया था।
2. 10.03.2026 को फिर से समय की प्रार्थना की गई, जिसका प्रत्यर्था के अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध किया गया, और याची के अधिवक्ता को अपना निवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया था।
3. आज याची के अधिवक्ता न तो प्रथम पुकार में और न ही पुनरीक्षित पुकार में उपस्थित हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी की ओर से उठाई गई आपत्ति के आधार पर याची ने उपस्थित न होने का विकल्प चुना है। परिणामस्वरूप, यह याचिका पैरवी न करने के कारण (अदम पैरवी में) खारिज की जाती है।

(क्षितिज शैलेन्द्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

मार्च 13, 2026

एन०डी०/वी०एस०

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।